[2014] 11 एस.सी.आर 399

अनवर पी.वी.

बनाम

पी.के. बशीर और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4226/ 2012)

सितंबर 18,2014

[आर.एम. लोढ़ा, सीजेआई, कुरियन जोसेफ और रोहिंटन फाली नरीमन, जेजे.]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: धारा 100(1)(बी) सपठित धारा 123(2)(ii) और (4) - चुनाव याचिका - इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के संबंध में प्रकाशन, घोषणा और भाषण, भ्रष्ट आचरण का आयोग है – उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका खारिज कर दी – अभिनिर्धारित: यह दिखाने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं था कि कथित प्रकाशन की छपाई और वितरण निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके चुनाव अभिकर्ता की सहमति से किया गया था - भाषणों, गीतों और घोषणाओं को अन्य उपकरणों का उपयोग करके और उन्हें कंप्यूटर में फीड करके अभिलेख किया गया - वहां से सीडी बनाई गईं, जिन्हें बिना उचित प्रमाणीकरण के न्यायालय में पेश किया गया - वे सीडी साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं थीं क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई थीं - मुद्रण के संबंध में निर्वाचित अभ्यर्थी की सहमति पर उचित निष्कर्ष निकालने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में सम्बन्ध गायब था -चुनाव याचिका सही खारिज की गई – साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 65 बी.

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 65 बी - इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की स्वीकार्यता – अभिनिर्धारित: द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि धारा 65 बी के तहत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जातीं - इस प्रकार, सीडी, वीसीडी, चिप आदि के मामले में, दस्तावेज़ लेते समय प्राप्त धारा 65 बी के संदर्भ में प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए, जिसके बिना, उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य, अस्वीकार्य है - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने -

अभिनिर्धारित किया: 1. साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की स्वीकार्यता से संबंधित है। यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो साक्ष्य अधिनियम मौखिक साक्ष्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रमाण पर विचार या अनुमति नहीं देता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य एक विशेष उपबंध है। जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोजेंट, विशेष कानून हमेशा सामान्य कानून पर हावी रहेगा। धारा 63 और 65 का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम से द्वितीयक साक्ष्य के मामले में कोई उपयोग नहीं है; यह पूरी तरह से धारा 65 ए और 65 बी द्वारा शासित है। द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को तब तक साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि धारा 65 बी के तहत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जातीं। इस प्रकार, सीडी, वीसीडी, चिप इत्यादि के मामले में, दस्तावेज़ लेते समय प्राप्त धारा 65 बी के संदर्भ में प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए, जिसके बिना, उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य, अस्वीकार्य है। अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि उसने सीडी के संबंध में धारा 65 बी के संदर्भ में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अत: इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। [पैराज 13,17,22 से 23] [411 - बी; 415-सी-एच]

राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम नवजोत संधू उर्फ अफसान गुरु (2005) 11 एससीसी 600: 2005 (2) पूरक एससीआर 79 -खारिज।

2. भाषणों, गीतों और घोषणाओं को अन्य उपकरणों का उपयोग करके अभिलेख किया गया और उन्हें कंप्यूटर में फीड करके उनकी सीडी बनाई गईं, जिन्हें बिना उचित प्रमाणीकरण के न्यायालय में पेश किया गया। 'आरोप यह था कि प्रदर्श पी1-पत्रक की कम से कम 25,000 प्रतियां निर्वाचित अभ्यर्थी-प्रथम प्रत्यर्थी की सहमति से मुद्रित और प्रकाशित की गईं, जिसमें कथित तौर पर एक हत्या के मामले में अपीलार्थी की संलिप्तता के बारे में गलत बयान दिया गया था, ताकि संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सके। अपीलार्थी का चुनाव. भ्रष्ट आचरण (i) निर्वाचित अभ्यर्थी, (ii) या उसके चुनाव अभिकर्ता (iii) या निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके चुनाव अभिकर्ता की सहमति से काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि प्रदर्श पी1-पत्रक की छपाई और प्रकाशन पहले प्रत्यर्थी या उसके चुनाव अभिकर्ता की सहमति से किया गया था। 'मिलीभगत' अलग है 'सहमति' से। [पैरा 24,26,30] [416-सी, डी; 417-जी-एच; 420 बी-डी]

चरण लाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह और अन्य (1984) 1 एससीसी 390: 1984 (2) एससीआर 6- पर निर्भरता।

3. सहमति का अनुमान परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि परिस्थितियों से सहमति पर कोई निष्कर्ष निकालना है, तो परिस्थितियों को एक साथ जोड़कर एक श्रृंखला बनानी चाहिए जिससे उचित निष्कर्ष निकले कि अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता ने आपत्तिजनक अंतर्वस्तु के प्रकाशन के लिए सहमति दी है। ऐसा कोई आरोप नहीं था कि उक्त पत्रक प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा या उसकी सहमति से मुद्रित किया गया था। प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से एकमात्र आरोप ज्ञान और मिलीभगत पर था। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिस्थितियों की एक पूरी

श्रृंखला थी जो प्रदर्श पी1-पत्रक की छपाई के संबंध में पहले प्रत्यर्थी की सहमति पर उचित निष्कर्ष तक ले जाएगी। न केवल सम्बन्ध गायब हैं, उपलब्ध साक्ष्य भी पहले प्रत्यर्थी की सहमति के पहलू पर ठोस और विश्वसनीय नहीं थे। हालाँकि साक्ष्य प्रदर्श पी1 की 1,000 प्रतियों की छपाई पर था, वितरण पर साक्ष्य कई हज़ार प्रतियों का था। प्रदर्श पी1 के वितरण के संबंध में कोई सुसंगत मामला नहीं था, जिससे न्यायालय के लिए यह मानना मुश्किल हो गया कि उस संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य हैं। [पैरा 31,33 से 36] [421-ए-सी; 422-एफ; 424-सी-ई]

श्योपत सिंह बनाम हरीश चंद्र और अन्य एआईआर 1960 एससी 1217; राम शरण यादव बनाम ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह और अन्य (1984) 4 एससीसी 649: 1985(1) एससीआर 1089; रज़ीक राम बनाम जसवंत सिंह चौहान और अन्य (1975) 4 एससीसी 769 - पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भः

2005 (2) पूरक एससीआर 79	ख़ारिज किया गया	पैरा 20
1984 (2) एससीआर 6	भरोसा किया गया	पैरा 30
एआईआर 1960 एससी. 1217	भरोसा किया गया	पैरा 31
1985 (1) एससीआर 1089	भरोसा किया गया	पैरा 35
(1975) 4 एससीसी 769	भरोसा किया गया	पैरा 39

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4226/2012

केरला उच्च न्यायालय एरनाकुलम द्वारा चुनाव याचिका 3/2011 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 13.04.2012 से उत्पन्न।

विवेक चिब, आसिफ अहमद, नीरज शेखर, अपीलार्थी की ओर से।

कपिल सिब्बल, हरिस बीरन, मुश्ताक सलीम, राधा श्याम जेना, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

कुरियन, न्यायाधिपति.

1. वादी द्वारा निर्माण, प्रत्यर्थी द्वारा विनाश। अभिवचन द्वारा निर्माण, साक्ष्य द्वारा प्रमाण; केवल प्रासंगिक और स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा प्रमाण। साक्ष्य की वास्तविकता, सत्यता या विश्वसनीयता न्यायालय द्वारा प्रासंगिकता और स्वीकार्यता के चरण के बाद ही देखी जाती है। ये साक्ष्य के कुछ प्रारंभिक सिद्धांत हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रवेश की प्रकृति और तरीका क्या है, यह इस अपील में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक है।

2. 13.04.2011 को आयोजित केरल विधानसभा के आम चुनाव में, पहले प्रत्यर्थी को 034 एरनाड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित घोषित किया गया था। वह यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा समर्थित अभ्यर्थी थे। अपीलार्थी ने कथित रूप से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ा। छठा प्रत्यर्थी पहले प्रत्यर्थी का मुख्य चुनाव अभिकर्ता था। पांच अभ्यर्थी थे। अपीलार्थी मतों के मामले में दूसरे स्थान पर थे; अन्य ने केवल मामूली मत प्राप्त किए। उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद 'आरपी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 123(2)(ii) और (4) के साथ पठित धारा 100(1)(बी) के तहत चुनाव को रद्द करने की मांग की और अपीलार्थी के पक्ष में घोषणा करने की भी मांग की।

दिनांक 16.11.2011 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 123(2)(ए)(ii) के तहत आधार पर चुनाव को रद्द करने के लिए चुनाव याचिका सम्पोश्नीय नहीं है और जिसे हमारे समक्ष भी आगे नहीं बढ़ाया जाता है। विवाधक (1) और (2) सम्पोश्नियता पर थे और जिनका उत्तर प्रारंभिक रूप से अपीलार्थी के पक्ष में दिया गया था। विवादित मुद्दे इस प्रकार हैंः

"1) XXX XXX XXX

2) XXX XXX XXX

3) क्या संलग्नक ए को निर्वाचन क्षेत्र में 12.4.2011 को प्रकाशित और वितरित किया गया था जैसा कि चुनाव याचिका के पैराग्राफ 4 और 5 में आरोप लगाया गया है और यदि ऐसा है तो क्या पल्लीपरम्बन अबूबकर पहले प्रत्यर्थी का एक अभिकर्ता था?

4) क्या संलग्नक ए प्रकाशन में कोई भी बयान याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के संबंध में है या उम्मीदवारी के संबंध में है और यदि ऐसा है तो क्या इसका कथित प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के तहत भ्रष्ट आचरण के बराबर होगा?

XXX XXX XXX

6) क्या अनुलग्नक डी, ई और ई1 में उल्लिखित फ्लेक्स बोर्ड और पोस्टरों को पहले प्रत्यर्थी के चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया था जैसा कि चुनाव याचिका के पैराग्राफ 6 और 7 में आरोप लगाया गया है और यदि ऐसा है तो क्या अनुलग्नक डी, ई और ई1 का कथित प्रदर्शन

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के तहत भ्रष्ट आचरण के बराबर होगा?

7) क्या चुनाव याचिका के पैराग्राफ 8 में उल्लिखित घोषणाएं 6.4.2011 और 11.4.2011 के बीच की गई थीं, जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में आरोप लगाया गया है, पहले प्रत्यर्थी के चुनाव प्रचार के हिस्से के रूप में और यदि ऐसा है तो क्या पैराग्राफ 8 में उल्लिखित कथित घोषणाएं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के तहत विचार किए गए भ्रष्टाचार के कृत्य के बराबर होंगी?

8) क्या चुनाव याचिका के पैराग्राफ 9 में कथित गीत और घोषणाएं, जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में आरोप लगाया गया है, पहले प्रत्यर्थी के चुनाव प्रचार के हिस्से के रूप में की गई थीं और यदि ऐसा है तो क्या कथित घोषणाओं और गीतों का प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के तहत भ्रष्ट आचरण के बराबर होगा?

9) क्या चुनाव याचिका के पैराग्राफ 10 में उल्लिखित श्री मुल्लान सुलेमान ने पहले प्रत्यर्थी के चुनाव प्रचार के हिस्से के रूप में उपरोक्त पैराग्राफ में कथित रूप से 9.4.2011 को भाषण दिया था और यदि ऐसा है तो क्या श्री मुल्लान सुलेमान का कथित भाषण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के तहत भ्रष्ट आचरण के बराबर है?

10) क्या पैराग्राफ 11 में उल्लिखित घोषणाएं 9.4.2011 को की गई थीं, जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में आरोप लगाया गया है, पहले प्रत्यर्थी के

चुनाव प्रचार के हिस्से के रूप में और यदि ऐसा है तो क्या चुनाव याचिका के पैराग्राफ 11 में उल्लिखित कथित घोषणाएं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के तहत भ्रष्ट आचरण के बराबर हैं?

11) क्या चुनाव याचिका के पैराग्राफ 12 में उल्लिखित घोषणाएं, जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में आरोप लगाया गया है, पहले प्रत्यर्थी के चुनाव प्रचार के हिस्से के रूप में की गई थीं और यदि ऐसा है तो क्या चुनाव याचिका के पैराग्राफ 12 में उल्लिखित कथित घोषणाएं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के तहत भ्रष्ट आचरण के बराबर हैं?

12) क्या चुनाव याचिका के पैराग्राफ 13 में उल्लिखित कथित घोषणाएं कथित रूप से की गई थीं और यदि ऐसा है तो क्या यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के तहत भ्रष्ट आचरण के बराबर है?

13) क्या चुनाव याचिका के पैराग्राफ 14 में उल्लिखित कथित घोषणाएं कथित रूप से की गई थीं और यदि ऐसा है तो क्या यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के तहत भ्रष्ट आचरण के बराबर है।

14) क्या चुनाव याचिका में उल्लिखित किसी भी आधार पर पहले प्रत्यर्थी का चुनाव रद्द किया जा सकता है?"

3. दिनांक 13.04.2012 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिका में की गई भ्रष्ट आचरण साबित नहीं होती हैं और इसलिए, चुनाव को आर.पी.अधिनियम की धारा 100(1)(बी) के तहत रद्द नहीं किया जा सकता है; और इसलिए यह अपील।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक चिब और प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल को सुना गया।

5. साक्ष्य में तीन भाग शामिल थे-(i) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, (ii) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अलावा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य, और (iii) मौखिक साक्ष्य। चूंकि तर्कों में प्रमुख जोर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर था, इसलिए हम पहले उसी पर विचार करेंगे।

6. न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद 'साक्ष्य अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के तहत दस्तावेजी साक्ष्य है। साक्ष्य अधिनियम में 2000 के अधिनियम 21 [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (इसके बाद 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम' के रूप में संदर्भित)] द्वारा एक बड़ा संशोधन किया गया। भारतीय दंड संहिता (1860 का 45), बैंकर पुस्तक साक्ष्य अधिनियम, 1891 आदि में भी इसी तरह के संशोधन किए गए थे।

7. साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 ए इस प्रकार हैः

> "22 ए. जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं- किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत नहीं होती जब तक पेश किये गए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना प्रश्नगत न हो।"

8. साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 ए इस प्रकार हैः

> "45 ए. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय- जब न्यायालय को किसी कार्यवाही में किसी कंप्यूटर साधन या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक या अंकीय रूप में

पारेषित या भंडारित किसी सूचना से संबंधित किसी विषय पर कोई राय बनानी होती है तब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 79 क में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक, विशेषज्ञ होगा।"

9. साक्ष्य से संबंधित साक्ष्य अधिनियम के भाग II के तहत धारा 59 इस प्रकार हैः

"59. मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना- दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाए सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे।"

10. धारा 65 ए इस प्रकार हैः

"65 ए. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंधः इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु धारा 65 बी के उपबंधों के अनुसार साबित कीजा सकेंगी।"

11. धारा 65 बी इस प्रकार हैः

"65 ख. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राहताः (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी, जो कंप्यूटर द्वारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय या चुंबकीय मीडिया में भंडारित, अभिलिखित या नकल की गई हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंप्यूटर निर्गम कहा गया है), तब एक दस्तावेज समझा जाएगा, यदि प्रश्नगत

सूचना और कंप्यूटर के संबंध में, इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती है और वह मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता, अतिरिक्त सबूत या मूल को पेश किए बिना ही किन्हीं कार्यवाहियों में ग्राह्य होगा।

(2) कंप्यूटर निर्गम की बाबत उपधारा (1) में वर्णित शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :

(क) सूचना से युक्त कंप्यूटर निर्गम, कंप्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, जिसका कंप्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण था, उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए, सूचना भंडारित करने या प्रसंस्करण करने के लिए नियमित रूप से कंप्यूटर का उपयोग किया गया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट किस्म की सूचना या उस किस्म की जिससे इस प्रकार अन्तर्विष्ट सूचना व्युत्पन्न प्राप्त की जाती है, उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में नियमित रूप से भरी गई थी;

(ग) उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग में अधोपांत, कंप्यूटर समुचित रूप से कार्य कर रहा था अथवा यदि नहीं तो, उस अवधि के उस भाग की बाबत, जिसमें कंप्यूटर समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था या वह उस अवधि में प्रचालन में नहीं था, ऐसी अवधि नहीं थी जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता प्रभावित होती हो; और

(घ) इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है, जिसे उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में भरा गया था।

(3) जहां किसी अवधि में, उपधारा (2) के खंड (क) में यथा उल्लिखित, उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए सूचना के भंडारण या प्रसंस्करण का कार्य कंप्यूटरों द्वारा नियमित रूप से निष्पादित किया गया था, चाहे वह —

(क) उस अवधि में कंप्यूटरों के प्रचालन के संयोजन द्वारा; या

(ख) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित बिभिन कंप्यूटरों द्वारा; या

(ग) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित कंप्यूटरों के विभिन्न संयोजनों द्वारा; या

(घ) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालन को अंतर्वलित करते हुए किसी अन्य रीति में हो, चाहे वह एक या अधिक कंप्यूटरों और एक या अधिक कंप्यूटरों के संयोजनों द्वारा किसी भी क्रम में हो,

उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटर इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल कंप्यूटर के रूप में माने जाएंगे और इस धारा में कंप्यूटर के प्रति निर्देश का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(4) किन्हीं कार्यवाहियों में, जहाँ इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, निम्नलिखित बातों में से किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाणपत्र, अर्थात् :

(क) विवरण से युक्त इलैक्ट्रानिक अभिलेख की पहचान करना और उस रीति का वर्णन करना जिससे इसका उत्पादन किया गया था;

(ख) उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्वलित किसी युक्ति को ऐसी विशिष्टियां देना, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों, कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख का कंप्यूटर द्वारा उत्पादन किया गया था;

(ग) ऐसे विषयों में से किसी पर कार्यवाही करना, जिससे उपधारा (2) में उल्लिखित शर्ते संबंधित हैं,

और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यित होना, जो सुसंगत युक्ति के प्रचालन या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंध के (जो भी समुचित हों) संबंध में उत्तरदायी पदीय हैसियत में हो, प्रमाणपत्र में कथित किसी विषय का साक्ष्य होगा; और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे विषय के लिए यह कथन पर्याप्त होगा कि यह कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कहा गया है।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए:-

(क) सूचना किसी कंप्यूटर को प्रदाय की गई समझी जाएगी यदि यह किसी समुचित रूप में प्रदाय की गई है, चाहे इस प्रकार किया गया प्रदाय सीधे (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम द्वारा किया गया हो;

(ख) चाहे किसी पदधारी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के अनुक्रम में सूचना इसके भंडारित या प्रसंस्कृत किए जाने की दृष्टि से उक्त क्रियाकलापों के अनुक्रम से

अन्यथा प्रचालित कंप्यूटर द्वारा उक्त क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए प्रदाय की जाती है, वह सूचना, यदि सम्यक् रूप से उस कंप्यूटर को प्रदाय की जाती है तो, उन क्रियाकलापों के अनुक्रम में प्रदाय की गई समझी जाएगी;

(ग) कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, चाहे यह इसके द्वारा सीधे उत्पादित हो (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम से हो।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अन्य सूचना से व्युत्पन्न की गई सूचना के प्रति कोई निर्देश परिकलन, तुलना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा उससे व्युत्पन्न के प्रतिनिर्देश होगा।"

ये विचाराधीन मुद्दे से संबंधित साक्ष्य अधिनियम के तहत उपबंध हैं।

12. आईटी अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में इस प्रकार कहा गया हैः

"नई संचार प्रणालियों और डिजिटल प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन शैली में भारी बदलाव किए हैं। लोगों के व्यापार करने के तरीके में एक क्रांति आ रही है।"

वास्तव में, न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश करने के तरीके में एक क्रांति है। उचित रूप से निर्देशित, यह प्रणालियों को तेजी से और अधिक प्रभावी बनाता है। हमारे सामने इस मुद्दे से संबंधित मार्गदर्शन ऊपर निकाले गए वैधानिक उपबंधों में परिलक्षित होते है।

13. धारा 59 और 65 ए को देखते हुए साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य केवल धारा 65 बी के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही साबित किया जा सकता है। धारा 65 बी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राहता से संबंधित है। इन उपबंधों का उद्देश्य कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक रूप में द्वितीयक साक्ष्य को पवित्र करना है। यह ध्यान

दिया जा सकता है कि यह धारा एक गैर-बाध्यकारी धारा के साथ शुरू होती है। इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित कोई भी जानकारी जो एक कागज पर मुद्रित होती है, संग्रहीत की जाती है, अभिलेख की जाती है या कंप्यूटर द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या चुंबकीय मीडिया में प्रतिलिपि बनाई जाती है, उसे केवल तभी दस्तावेज़ माना जाएगा जब उप-धारा (2) के तहत उल्लिखित शर्तों को बिना मूल के आगे के प्रमाण या उत्पादन के पूरा किया जाता है। ऐसे दस्तावेज़ की ग्राहता, यानी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जिसे कंप्यूटर निर्गम कहा जाता है, धारा 65 बी (2) के तहत चार शर्तों की संतुष्टि पर निर्भर करती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (2) के तहत निम्नलिखित निर्दिष्ट शर्तें हैं:

(i) जानकारी वाला इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख उस अवधि के दौरान कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जिस अवधि में उस कंप्यूटर के उपयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस अवधि में नियमित रूप से की जाने वाली किसी भी गतिविधि के उद्देश्य से जानकारी को संग्रहीत करने या संसाधित करने के लिए इसका नियमित रूप से उपयोग किया जाता था।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित या जिस प्रकार से जानकारी प्राप्त की जाती है, उस प्रकार की जानकारी उक्त गतिविधि के सामान्य क्रम में नियमित रूप से कंप्यूटर में डाली जाती थी;

(iii) उक्त अवधि के भौतिक भाग के दौरान, कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था और भले ही यह कुछ समय के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा था,

अवरोध या अवरोधों ने अभिलेख या इसकी अंतर्वस्तु की सटीकता को प्रभावित नहीं किया था; और

(iv) अभिलेख में निहित जानकारी उक्त गतिविधि के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में दी गई जानकारी से एक पुनरुत्पादन या व्युत्पत्ति होनी चाहिए।

14. साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी(4) के तहत, यदि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित किसी भी कार्यवाही में बयान देना वांछित है, तो यह अनुमत है बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

(क) एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जो बयान वाले इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान करता है;

(ख) प्रमाण पत्र में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तैयार करने के तरीके का वर्णन होना चाहिए।

(ग) प्रमाणपत्र को उस अभिलेख के निर्माण में शामिल उपकरण का विवरण प्रस्तुत करना होगा;

(डी) प्रमाण पत्र को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (2) के तहत उल्लिखित लागू शर्तों से निपटना चाहिए; और

(ई) प्रमाण पत्र पर संबंधित उपकरण के संचालन के संबंध में एक जिम्मेदार आधिकारिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

15. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति को केवल प्रमाण पत्र में यह बताने की आवश्यकता है कि यह उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस

तरह के प्रमाण पत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जैसे कंप्यूटर निर्गम, कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी), वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क (वीसीडी), पेन ड्राइव आदि होना चाहिए, जिसके संबंध में साक्ष्य में एक बयान देने की मांग की जाती है, जब वह साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है। ये सभी सुरक्षा उपाय स्रोत और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित दो लक्षण हैं जिन्हें सबूत के रूप में उपयोग करने की मांग की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख इस तरह के सुरक्षा उपायों के बिना छेड़छाड़, परिवर्तन, स्थानांतरण, निष्कासन आदि के लिए अधिक संवेदनशील होने के कारण, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रमाण पर आधारित पूरा परीक्षण न्याय का उपहास कर सकता है।

16. केवल तभी जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के संदर्भ में विधिवत प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी वास्तविकता के बारे में सवाल उठेगा और उस स्थिति में, धारा 45 ए-इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय का सहारा लिया जा सकता है।

17. साक्ष्य अधिनियम मौखिक साक्ष्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रमाण पर विचार या अनुमति नहीं देता है यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है, जैसा कि अब भारत में कानून है।

18. यह ध्यान देने योग्य है कि यूनाइटेड किंगडम में कंप्यूटर अभिलेख पर साक्ष्य से संबंधित पुलिस और आपराधिक साक्ष्य अधिनियम, 1984 (पीएसीए) की धारा 69 को युवा न्याय और आपराधिक साक्ष्य अधिनियम, 1999 की धारा 60 द्वारा निरसन कर दिया गया था। इसलिए कंप्यूटर साक्ष्य को सामान्य कानून नियम का पालन करना चाहिए, जहां एक धारणा मौजूद है कि साक्ष्य निर्गम का उत्पादन करने वाला कंप्यूटर भौतिक समय पर ठीक से रिकॉर्डिंग कर रहा था। यदि इसके विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो अनुमान का खंडन किया जा सकता है। संयुक्त राज्य

अमेरिका में, साक्ष्य के संघीय नियम के तहत, अभिलेखों की विश्वसनीयता आम तौर पर साक्ष्य के महत्व पर निर्भर करती है न कि स्वीकार्यता पर।

19. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रमाण साक्ष्य अधिनियम के तहत विभिन्न उपबंधों में संशोधन करते हुए आईटी अधिनियम द्वारा शुरू किया गया एक विशेष प्रावधान है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ए का शीर्षक, जिसे धारा 59 और 65 बी के साथ पढ़ा जाता है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य पर विशेष उपबंध साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा शासित होंगे। यह अपने आप में एक पूर्ण कोड है। एक विशेष कानून होने के कारण, धारा 63 और 65 के तहत सामान्य कानून को मान लेना पड़ता है।

20. राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम नवजोत संधू @ अफसान गुरु[1] में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ को इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सबूत के रूप में पेश करने के मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला था। सेलफोन से संबंधित कॉल के कम्प्यूटरीकृत अभिलेख के निर्गमन पर विचार करते हुए, इसे पैराग्राफ-150 में इस प्रकार रखा गया थाः

> "150. धारा 63 के अनुसार, द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत इसमें अन्य बातों के अलावा, "मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो प्रक्रियाएँ स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियाँ तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियाँ"। धारा 65 किसी दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है यदि मूल ऐसी प्रकृति का है जो आसानी से चल नहीं सकता है। यह विवाद में नहीं है कि कॉल अभिलेख में निहित जानकारी विशाल सर्वर में संग्रहीत की जाती है जिसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने भी पैरा 276 में यही टिप्पणी की है। इसलिए,

यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा कंप्यूटर/सर्वर से लिए गए और सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा प्रमाणित निर्गम को एक गवाह द्वारा से साक्ष्य में ले जाया जा सकता है जो प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर की पहचान कर सकता है या अन्यथा उसके व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर तथ्यों की बात कर सकता है। धारा 65-बी की आवश्यकताओं के अनुपालन के बावजूद, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता से संबंधित एक उपबंध है, साक्ष्य अधिनियम के अन्य उपबंधों, अर्थात् धारा 63 और 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं है। यह हो सकता है कि धारा 65-बी की उप-धारा (4) में विवरण वाला प्रमाण पत्र तत्काल मामले में दायर नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, भले ही कानून प्रासंगिक उपबंधों, अर्थात् धारा 63 और 65 में उल्लिखित परिस्थितियों में ऐसे साक्ष्य देने की अनुमति देता हो।"

21. यह देखा जा सकता है कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें एक जिम्मेदार अधिकारी ने प्रस्तुत करने के समय ही दस्तावेज़ को विधिवत प्रमाणित किया था। प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर की भी पहचान की गई थी। यह स्पष्ट रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में है। हालाँकि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 65 बी की आवश्यकताओं के अनुपालन के बावजूद, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राहता से संबंधित एक विशेष उपबंध है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की धारा 63 और 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई बाधा नहीं है।

22. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक विशेष उपबंध होने के नाते, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 सपठित धारा 63 के तहत द्वितीयक

साक्ष्य पर सामान्य कानून भी उसी के अनुरूप होगा। जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोजेंट, विशेष कानून हमेशा सामान्य कानून पर हावी रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है, न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राहता से संबंधित धारा 59 और 65 ए पर ध्यान देना छोड़ दिया। धारा 63 और 65 का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम से द्वितीयक साक्ष्य के मामले में कोई उपयोग नहीं है; यह पूरी तरह से धारा 65 ए और 65 बी द्वारा शासित है। उस हद तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर कानून का बयान, जैसा कि नवजोत संधू मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय ने कहा था, सही कानूनी स्थिति नहीं बताता है। इसे खारिज करने की आवश्यकता है और हम ऐसा करते हैं। द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को तब तक साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि धारा 65 बी के तहत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जातीं। इस प्रकार, सीडी, वीसीडी, चिप इत्यादि के मामले में, दस्तावेज़ लेते समय प्राप्त धारा 65 बी के संदर्भ में प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए, जिसके बिना, उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य, अस्वीकार्य है।

23. अपीलार्थी ने सीडी, प्रदर्श पी4, पी8, पी9, पी10, पी12, पी13, पी15, पी20 और पी22 के संबंध में धारा 65 बी के संदर्भ में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, इसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, गीतों, घोषणाओं और भाषणों का उपयोग करने वाली भ्रष्ट आचरण के संबंध में स्थापित पूरा मामला जमीन पर गिर जाता है।

24. स्थिति अलग होती यदि अपीलार्थी घोषणा और गीतों के लिए उपयोग की जाने वाली सीडी को साक्ष्य में उपलब्ध कराकर प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करता। यदि आपत्तिजनक गीतों या घोषणाओं के लिए उपयोग की जाने वाली सीडी को पुलिस या चुनाव आयोग द्वारा विधिवत जब्त कर लिया जाता और उसी का उपयोग प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता, तो उच्च न्यायालय यह देखने के लिए न्यायालय में ऐसा ही कर सकता था कि क्या आरोप सही थे। इस मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। भाषणों, गीतों और घोषणाओं को अन्य उपकरणों का उपयोग करके अभिलेख किया जाता

था और उन्हें एक कंप्यूटर में फीड करके, सीडी बनाई जाती थी, जिन्हें बिना उचित प्रमाणन के न्यायालय में पेश किया जाता था। उन सीडी को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 59, 65 ए और 65 बी के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर द्वितीयक साक्ष्य पर हमने पूर्ववर्ती पैराग्राफ में जो कुछ भी कहा है, उसके बावजूद, यदि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता है, तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी की शर्तों के अनुपालन के बिना साक्ष्य में स्वीकार्य है।

25. अब, हम प्रदर्श पी1-पत्रक के प्रकाशन के आधार पर विचार करेंगे जिसे अनुलग्नक-ए के रूप में भी जाना जाता है। चुनाव याचिका के पैराग्राफ-4 के प्रासंगिक हिस्से को उद्धृत करने के लिए:

> "4. 12 अप्रैल, 2011 को, चुनाव से एक दिन पहले, एक पल्लीपरम्बन अबूबकर, पुत्र अहमदकुट्टी, पल्लीपरम्बन हाउस, किझाक्केचथल्लूर, पोस्ट चथल्लूर, जो यूडीएफ की निर्वाचन क्षेत्र समिति के सदस्य और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की किझाक्केचथल्लूर वार्ड समिति के संयोजक थे, जिसका अभ्यर्थी पहला प्रत्यर्थी था, जो एरनाड मंडलम चुनाव समिति के भीतर आता था और इस तरह पहले प्रत्यर्थी का अभिकर्ता था, जो पहले प्रत्यर्थी की सहमति और जानकारी के साथ पहले प्रत्यर्थी के चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से शामिल था, उसने जिला पंचायत प्रेस, कोंडोटी में एक पत्रक की कम से कम पच्चीस हजार प्रतियाँ शीर्षक "पीपी मनाफिन्ते रक्तसाक्षीदिनम नाम मराक्कथिरिक्कुका 13 अप्रैल" (पीपी मनाफ का शहीद

दिवस - हमें 13 अप्रैल को नहीं भूलना चाहिए) के साथ छपवाई थी और पत्रक में याचिकाकर्ता के नाम का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसे एड्वन्ना पंचायत के ततालीन अध्यक्ष श्री पीवी शोकत अली के बेटे के रूप में वर्णित किया गया है और आरोप यह है कि उन्होंने मनाफ़ की हत्या को सिनेमा शैली में नेतृत्व दिया। याचिकाकर्ता का नाम विशेष रूप से पत्रक के एक भाग में उल्लिखित है, जिसे उसके चारों ओर एक काले घेरे के साथ उजागर किया गया था, जिसमें विशेष रूप से यह आरोप लगाया गया था कि यह याचिकाकर्ता था जिसके नेतृत्व में हत्या की गई थी। इसी तरह पत्रक के एक अन्य भाग में याचिकाकर्ता के नाम का विशेष रूप से वर्ग में एक काली सीमा के साथ उल्लेख किया गया है। इस पत्रक में वर्ष 1995 की समाचार पत्र रिपोर्टों के विभिन्न अंश शामिल हैं, जिनमें बड़े अक्षरों में टिप्पणियों पर प्रकाश डाला गया है, जो प्रकाशकों का जानबूझकर किया गया योगदान है। याचिकाकर्ता को एक हत्यारे के रूप में बेनकाब करने के लिए पर्चे में विभिन्न समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अंश इस तरह मुद्रित किए गए थे, जानबूझकर इस तथ्य को छिपाकर कि याचिकाकर्ता को माननीय न्यायालय द्वारा सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था...।"

26. आरोप यह है कि प्रदर्श पी1-पत्रक की कम से कम 25,000 प्रतियां पहले प्रत्यर्थी की सहमति से मुद्रित और प्रकाशित की गई थीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रदर्श पी1 में 13.04.1995 को एक मनफ की हत्या में अपीलार्थी की संलिप्तता के बारे में एक गलत बयान है और यह अपीलार्थी के चुनाव की संभावनाओं को प्रभावित करने के लिए किया गया था। जाहिर है, प्रदर्श पी1 को हसीब के मार्फ़त पीडब्लू-4-पल्लीपरम्बन अबूबकर द्वारा मुद्रित किया गया था और कुडुम्बा

सौह्रिदा समिति (परिवारों के दोस्तों का संघ) द्वारा प्रकाशित किया गया था, हालांकि पीडब्लू-4 ने इससे इनकार किया था। इसे जिला पंचायत प्रेस, कोंडोट्टी में वी.हमजा की सहायता से छापा गया था।

27. चुनाव याचिका के पैराग्राफ-4 में आगे कहा गया हैः

> "4. ... चूंकि उक्त अबूबकर और वी. हमजा दोनों पहले प्रत्यर्थी के अभिकर्ता हैं, जिन्होंने चुनाव अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया था, इसलिए अनुलग्नक-ए का मुद्रण, प्रकाशन और वितरण पहले प्रत्यर्थी की सहमति और ज्ञान के साथ किया गया था क्योंकि यह याचिकाकर्ता के एक कार्यकर्ता श्री पी.वी. मुस्तफा से एकत्र किया गया है कि मुद्रण के लिए खर्च पहले प्रत्यर्थी के चुनावी विवरण में दिखाया गया है....।"

चुनाव याचिका के पैराग्राफ-18 में इस प्रकार कहा गया हैः

> "18. ... जहां तक अनुलग्नक-ए पत्रक के मुद्रण और प्रकाशन का संबंध है, यह न केवल प्रथम प्रत्यर्थी की जानकारी और मिलीभगत से किया गया था, बल्कि यह उनके आधिकारिक लेखा अभिकर्ता श्री वी.हमजा की सहायता से किया गया था, जो उस प्रेस के महाप्रबंधक थे जिसमें उक्त पत्रक मुद्रित किए गए थे....।"

28. पीडब्लू-4-पल्लीपरम्बन अबूबकर ने आरोपों का पूरी तरह से अस्वीकृत किया है। आश्चर्य की बात है कि ऊपर उल्लिखित श्री मुस्तफा और श्री हमजा की जांच नहीं की गई है। इसलिए, पर्चे की छपाई का प्रमाण पीडब्लू-4-अबूबकर और पीडब्लू-42 का है। पीडब्लू-4 के अनुसार, उन्होंने अपनी परीक्षा की तारीख से पूर्व प्रदर्श पी1-पत्रक नहीं देखा था। उन्होंने इस बात से भी

इनकार किया कि वह चुनाव समिति के सदस्य थे। पीडब्लू-42 के अनुसार, जिसकी प्रदर्श पी1 की छपाई को साबित करने के लिए जांच की गई थी, उक्त हमजा कभी भी प्रेस के प्रबंधक नहीं थे। प्रदर्श एक्स 4-आदेश प्रपत्र, जिसके आधार पर पत्रक मुद्रित किया गया था, से पता चलता है कि एक हसीब द्वारा केवल एक पूरक की 1,000 प्रतियां छापने के लिए आदेश दिया गया था और आदेश पीडब्लू-4 के नाम पर दिया गया था, जिसके नाम पर प्रदर्श पी1 मुद्रित किया गया था, मुद्रण शुल्क के भुगतान के लिए प्रदर्श एक्स 5-रसीद से पता चलता है कि यह हसीब द्वारा बनाया गया था। उक्त हसीब की भी जाँच नहीं की गई थी। इसके अलावा, आरोप यह था कि कम से कम 25,000 प्रतियां छापी गईं लेकिन यह सबूत के रूप में सामने आया है कि केवल 1,000 प्रतियां छापी गईं थीं।

29. यह आगे तर्क दिया गया है कि प्रदर्श पी1 को पहले प्रत्यर्थी की जानकारी और सहमति से मुद्रित और प्रकाशित किया गया था। केवल ज्ञान अपने आप में सहमति का संकेत नहीं देगा, हालांकि, इसके विपरीत सच हो सकता है। आरपी अधिनियम की धारा 123(4) के तहत आवश्यकता ज्ञान नहीं बल्कि सहमति है। आसान संदर्भ के उद्देश्य से, हम प्रासंगिक उपबंध को उद्धृत कर सकते हैं:

> "123. भ्रष्ट आचरण- निम्नलिखित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट आचरण समझे जायेंगे—
>
> (1) XXXXXXXXXX
>
> (2) XXXXXXXXXX
>
> (3) XXXXXXXXXX

(4) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी या उसके चुनाव अभिकर्ता की सहमति से किसी भी तथ्य का प्रकाशन, जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और किसी भी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में, या किसी भी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता, या वापसी के संबंध में, उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन है।"

30. धारा 100(1)(बी) के तहत चुनाव को बातिल घोषित करने के आधार पर, न्यायालय को यह राय अवश्य बनानी चाहिए कि "कोई भी भ्रष्ट आचरण किसी निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके चुनाव अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके चुनाव अभिकर्ता की सहमति से किया गया है"। दूसरे शब्दों में, भ्रष्ट आचरण (i) निर्वाचित अभ्यर्थी, (ii) या उसके चुनाव अभिकर्ता (iii) या निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके चुनाव अभिकर्ता की सहमति से काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। अतिरिक्त आवश्यकताएँ भी हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि इससे निपटना आवश्यक है क्योंकि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि प्रदर्श पी1-पत्रक का मुद्रण और प्रकाशन पहले प्रत्यर्थी या उसके चुनाव अभिकर्ता, छठे प्रत्यर्थी की सहमति से किया गया था। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा यह जोरदार तर्क दिया गया था कि मुद्रण और प्रकाशन प्रथम प्रत्यर्थी की मिलीभगत से किया गया था और इसलिए सहमति का अनुमान लगाया जाना चाहिए, हमें डर है कि इसकी सराहना नहीं की जा सकती है। 'मिलीभगत' 'सहमति' से अलग है। कन्साइज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, 'कोंनाइव' का अर्थ है गुप्त रूप से गलत काम करने की अनुमति देना, जहां 'सहमति' अनुमति है। आवश्यक प्रमाण प्रकाशन के लिए सहमति का है

न कि प्रकाशन पर मिलीभगत का। चरण लाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह और अन्य[2] में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "30. ... 'मिलीभगत' कुछ स्थितियों में सहमति के बराबर माना जा सकता है, जो बताता है कि क्यों शब्दकोश 'सहमति' शब्द को 'सहमति' शब्द के एक अर्थ के रूप में देते हैं। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि 'मिलीभगत' का मतलब हमेशा और अनिवार्य रूप से सहमति होता है, यानी, दी गई स्थिति के संदर्भ पर ध्यान दिए बिना। इसलिए, दोनों को बराबर नहीं किया जा सकता। सहमति का तात्पर्य है कि पक्षकार विज्ञापन की तरह हैं। मिलीभगत का मतलब यह नहीं है कि पक्षकार एक मत हैं। स्थिति के तथ्यों के आधार पर वे हो भी सकते हैं और नहीं भी...."

31. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का जोरदार तर्क है कि परिस्थितियों से सहमति का अनुमान लगाने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भ्रष्ट आचरण से संबंधित आरोपों पर, सहमति पर प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कठिन है। श्योपत सिंह बनाम हरीश चंद्र और अन्य[3] में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित परिस्थितियों से सहमति का अनुमान लगाया जाना है। उक्त दृष्टिकोण का बाद में लगातार पालन किया गया है। हालाँकि, यदि परिस्थितियों से सहमति पर एक निष्कर्ष निकाला जाना है, तो परिस्थितियों को एक साथ रखते हुए एक श्रृंखला बनानी चाहिए जिससे एक उचित निष्कर्ष निकालना चाहिए कि अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता ने आपत्तिजनक अंतर्वस्तु के प्रकाशन के लिए सहमति दी है। सवाल यह है कि क्या ऐसा स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है ताकि प्रदर्श पी1-पत्रक के कथित प्रकाशन पर पहले प्रत्यर्थी की सहमति पर एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सके। जैसा कि हमने ऊपर भी चर्चा की है, यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रदर्श पी1-पत्रक पहले प्रत्यर्थी के कहने पर मुद्रित किया गया था। एक हसीब, जिसने

प्रदर्श पी1 के मुद्रण का आदेश दिया था, उसकी जाँच नहीं की गई है। श्री हमजा, जिन्हें संबंधित समय में प्रेस का प्रबंधक कहा जाता है, से पूछताछ नहीं की गई थी। श्री मुस्तफा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपीलार्थी को बताया कि प्रदर्श पी1 के मुद्रण का खर्च पहले प्रत्यर्थी द्वारा वहन किया गया था और वही पहले प्रत्यर्थी के चुनावी विवरण में दिखाया गया है, इसकी भी जांच नहीं की गई है। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा प्रदर्श पी1 के मुद्रण पर खर्च से संबंधित चुनावी विवरणी का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। चुनाव याचिका में आरोप प्रदर्श पी1 की 25,000 प्रतियों के मुद्रण पर है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य केवल 1,000 प्रतियों के मुद्रण के संबंध में है। पीडब्लू-24-साजिद के अनुसार, पहले प्रत्यर्थी की पत्नी के निर्देश के अनुसार पहले प्रत्यर्थी के घर में प्रदर्श पी1 के 21 बंडल रखे गए थे। उसकी जांच भी नहीं की गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि साजिद का बयान, जैसा कि ऊपर बताया गया है, याचिका में अनुरोध किया गया मामला नहीं है; यह परीक्षा में सुधार है। आगे आरोप है कि पीडब्लू-7-अर्जुन और पीडब्लू-9-फैजल ने प्रदर्श पी1 के बंडलों को पहले प्रत्यर्थी के निवास से पंजीकरण संख्या केएल-13-बी 3159 और केएल 10 जे 5992 वाली दो जीपों में ले जाते देखा था। एक बात यह देखी जानी चाहिए कि पीडब्लू-7-अर्जुन अपीलार्थी का चुनाव कार्यकर्ता था और सीपीआई (एम) की युवा शाखा डीवाईएफआई का पंचायत सचिव था और एडावन्ना और फैजल की उक्त पार्टी की स्थानीय समिति का सदस्य उसका दोस्त है। पीडब्लू-29 एक जॉय है, जो जीप पंजीकरण संख्या केएल 10 जे 5992 का चालाक है। उसने जीप में प्रदर्श पी1 जैसी किसी भी सामग्री को ले जाने से पूरी तरह से इनकार किया है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न तो पीडब्लू-7-अर्जुन और न ही पीडब्लू-9-फैजल के पास ऐसा कोई मामला है कि प्रदर्श पी1 की प्रतियां पहले प्रत्यर्थी के घर से ली गई थीं। उनका एकमात्र मामला यह है कि वाहन पहले प्रत्यर्थी के घर से आ रहे थे और पीडब्लू-4-पल्लीपरम्बन अबूबकर ने उन्हें प्रतियां दीं। पीडब्लू-4 ने इससे इनकार किया है। यह जानना भी दिलचस्प है कि पीडब्लू-9-फैजल ने साक्ष्य में कहा है कि वह पीडब्लू-4 से

नोटिस प्राप्त होने के संबंध में पहली बार न्यायालय में इसका खुलासा कर रहा था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी के मुख्य निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा 13.04.2011 को दायर अनुलग्नक-पी3-शिकायत में, प्रदर्श पी1-पत्रक की प्रतियों की संख्या, उन दिनों का कोई संदर्भ नहीं है जब उन्हें वितरित किया गया था और जिन लोगों ने इसे वितरित किया था, आदि, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुलग्नक-पी3 में कोई आरोप नहीं है कि उक्त पत्रक पहले प्रत्यर्थी द्वारा या उनकी सहमति से मुद्रित किया गया था। एकमात्र आरोप पहले प्रत्यर्थी की ओर से जानकारी और मिलीभगत पर है। हम पहले ही मान चुके हैं कि ज्ञान और मिलीभगत सहमति से अलग है। आरपी अधिनियम की धारा 123(4) के तहत भ्रष्ट आचरण के गठन के लिए सहमति की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला है जो प्रदर्श पी1-पत्रक के मुद्रण के संबंध में पहले प्रत्यर्थी द्वारा सहमति पर एक उचित निष्कर्ष की ओर ले जाएगी। न केवल यह कि सम्बन्ध गायब हैं, उपलब्ध साक्ष्य भी पहले प्रत्यर्थी की सहमति के पहलू पर ठोस और विश्वसनीय नहीं हैं।

32. अब, हम प्रदर्श पी1-पत्रक के वितरण के बारे में बात करेंगे। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सहमति का अनुमान प्रदर्श पी1 के वितरण से संबंधित परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए। अर्जुन और फैजल के साक्ष्य पर मजबूत निर्भरता रखी गई है। उनके अनुसार, प्रदर्श पी1 पत्रक के बंडल दो जीपों में लिए गए और पूरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 08.00 पर 12.04.2011 को वितरित किए गए। चुनाव याचिका के पैराग्राफ-5 के प्रासंगिक हिस्से को उद्धृत करने के लिए:

> "5. ... प्रथम प्रत्यर्थी और उसके सभी चुनाव अभिकर्ता और अन्य व्यक्ति जो उसके लिए काम कर रहे थे, दोनों जानते थे कि अनुलग्नक ए की सामग्री जो ऊपर बताए गए तरीके से छापी गई थी, झूठी और उनकी जानकारी के अनुसार झूठी

है और हालांकि याचिकाकर्ता को मनफ हत्या मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था, उसे मामले में सम्मानपूर्वक दोषमुक्त कर दिया गया है और दोषी नहीं घोषित किया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय (तदर्थ एनपी.2), मंजेरी के एस.सी.सं.453/2001 में दिनांक 24.9.2009 के फैसले की सत्य प्रति इसके साथ प्रस्तुत की गई है और इसे अनुलग्नक बी के रूप में चिह्नित किया गया है। हालांकि यह तथ्य पहले प्रत्यर्थी की जानकारी में है, ऊपर उल्लिखित उसके अभिकर्ता और अन्य व्यक्ति जो 12 अप्रैल, 2011 को सुबह लगभग 8 बजे चुनाव में उसके लिए काम कर रहे थे, संलग्नक ए के बंडल जो निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पथापिरियम में पहले प्रत्यर्थी के घर में रखे गए थे, को उस घर से दो जीपों जिनके नंबर केएल 13-बी 3159 और केएल 10-जे 5992 है, में निकाला गया, जिसे दो मतदाताओं, श्री वी.अर्जुन, उम्र 31 वर्ष, कोट्टूर हाउस, पुत्र नारायण मेनन, पथपिरियाम पोस्ट, एडवन्ना और सी.पी.फैज़ल, उम्र 34 वर्ष, पुत्र मुहम्मद चीनियाम्पुरथु पथापिरियम पो.ओ. ने देखा। जो पहले प्रतिवादी के ही इलाके में रहते हैं और उस रात लगभग 8 बजे प्रथम प्रतिवादी के कार्यकर्ताओं और एजेंटों द्वारा जीपों को एरानाड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में ले जाया गया और उपरोक्त जीपों से पूरे निर्वाचन क्षेत्र में वितरित किया गया। उपरोक्त प्रकाशन भी अनुचित प्रभाव के बराबर था क्योंकि उक्त अभिव्यक्ति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2)(ए)(ii) में समझा गया है, जिसमें यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने या हस्तक्षेप करने का प्रयास करने के बराबर है जो पहले प्रत्यर्थी या उसके अभिकर्ता और अन्य व्यक्ति जो पहले प्रत्यर्थी की सहमति से नीचे संदर्भित उनके अभिकर्ता थे, एरनाड निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के चुनावी अधिकार का स्वतंत्र प्रयोग और जन प्रतिनिधित्व

अधिनियम, 1951 की धारा 123 (4) के तहत आने वाली एक भ्रष्ट आचरण भी है....।"

33. आरोप 12.04.2011 को लगभग 08.00 बजे प्रदर्श पी1 के वितरण पर है। लेकिन साक्ष्य यूडीएफ कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर 08.00 एएम, 02.00 पीएम, 05.00 पीएम, 06.30 पीएम आदि पर प्रदर्श पी.1 के वितरण पर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वितरण का विवरण विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न समयों पर चुनाव याचिका के पैराग्राफ-5 (ऊपर निकाला गया) में दिया गया है। पीडब्लू-1 के रूप में अपीलार्थी ने कहा कि प्रदर्श पी1 की प्रतियां 08.00 पीएम तक वितरित की गईं। यद्यपि साक्ष्य प्रदर्श पी1 की 1,000 प्रतियों के मुद्रण पर है, वितरण पर साक्ष्य कई हज़ारों का है। पीडब्लू-22-केवी मुहम्मद के अनुसार एक पंचायत में ही अराकोडे बस स्टैंड के पास लगभग 5,000 प्रतियां वितरित की गईं। एक अन्य आरोप यह है कि दो बंडलों को आरेकोड में एक सरफुल्ला को सौंपा गया था, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई। यह सब दर्शाता है कि प्रदर्श पी1 के वितरण के संबंध में कोई सुसंगत मामला नहीं है जिससे न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि उस संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य है।

34. इन सबके अलावा, अपीलार्थी का निश्चित मामला यह है कि आरपी अधिनियम की धारा 100(1)(बी) के आधार पर चुनाव को अमान्य घोषित किया जाना है और वह भी निर्वाचित अभ्यर्थी, अर्थात पहले प्रत्यर्थी द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण पर और उसकी सहमति से। हमने पहले ही पाया है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, प्रदर्श पी1-पत्रक के मुद्रण और प्रकाशन के मामले में प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से सहमति का अनुमान लगाना संभव नहीं है। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि प्रदर्श पी1 का वितरण पहले प्रत्यर्थी की सहमति से किया गया था। चुनाव याचिका में यह आरोप कि प्रदर्श पी1 के बंडल पहले प्रत्यर्थी के घर में रखे गए थे, साबित करने का

प्रयास भी नहीं किया गया है। एकमात्र जुड़ाव सम्बन्ध दो जीपों का है जिनका उपयोग यूडीएफ कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता था न कि विशेष रूप से पहले प्रत्यर्थी द्वारा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी के लिए कोई मामला नहीं है कि आरपी अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(ii) के तहत आधार के अनुसार, उसके चुनाव अभिकर्ता के अलावा किसी अन्य अभिकर्ता द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थी के हित में कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है। निश्चित मामला केवल आरपी अधिनियम की धारा 100(1)(बी) का है।

35. राम शरण यादव बनाम ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह और अन्य[4] मामले में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने साक्ष्य के मूल्यांकन पर इस मुद्दे पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> "9. मोटे तौर पर, ऐसे मामलों में न्यायालय को साक्ष्य की सराहना या विश्लेषण करते समय निम्नलिखित विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिएः
>
> (1) साक्ष्य की प्रकृति, चरित्र, सम्मान और विश्वसनीयता,
>
> (2) आसपास की परिस्थितियों और मामले में दिखाई देने वाली असंभवताओं,
>
> (3) विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्ष को परेशान करने में अपीलीय न्यायालय की सुस्ती, जिसे उसके सामने पेश होने वाले गवाहों के व्यवहार, चरित्र और आचरण को देखने का प्रारंभिक लाभ मिला था,, और
>
> (4) पूरे साक्ष्य के प्रभाव की समग्रता जो कथित भ्रष्ट आचरणओं के बारे में एक स्थायी छाप छोड़ती है।"

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, पहले प्रत्यर्थी को प्रदर्श पी1 के वितरण से जोड़ना यदि कठिन नहीं है तो यह असुरक्षित है, यह मानते हुए भी कि विभिन्न स्थानों पर प्रदर्श पी1 के वितरण पर आरोप सही है।

36. अब, हम घोषणाओं के अंतिम आधार पर चर्चा करेंगे। इस मैदान पर हमला प्रदर्श पी10-सीडी पर आधारित है। हम पहले ही मान चुके हैं कि सीडी साक्ष्य में अस्वीकार्य है। चूँकि नींव ही हिल गई है, इसलिए घोषणाओं को सुनने वालों के साक्ष्य पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। पीडब्लू-4-पल्लीपरम्बन अबूबकर और पीडब्लू-30-मुल्लान सुलेमान के भाषण का भी यही हाल है।

37. हमें मौखिक साक्ष्य के पहलू से निपटने की आवश्यकता नहीं समझते हैं क्योंकि भ्रष्ट आचरण का मुख्य आरोप सीडी पर आधारित अन्य साक्ष्यों के अलावा प्रदर्श पी1-पत्रक के प्रकाशन का है। चूंकि इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि प्रदर्श पी1-पत्रक प्रथम प्रत्यर्थी या उसके चुनाव अभिकर्ता की सहमति से प्रकाशित किया गया था, इसलिए चुनाव को आरपी अधिनियम की धारा 123(4) के तहत भ्रष्ट आचरण के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है।

38. आरपी अधिनियम की धारा 123(2) के तहत अनुचित प्रभाव का आधार छोड़ दिया गया है, साथ ही फ्लेक्स बोर्ड के प्रकाशन का आधार भी छोड़ दिया गया है।

39. अब यह सुस्थापित कानून है कि भ्रष्ट आचरण का आरोप काफी हद तक आपराधिक आरोप के समान है। रज़ीक राम बनाम जसवंत सिंह चौहान और अन्य[5] में उक्त मुद्दे पर विचार करते हुए इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

"15. ...वही साक्ष्य जो किसी तथ्य को सिविल वाद में साबित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, किसी आपराधिक कार्रवाई में दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त माना जा सकता है। जबकि पहले वाले में, केवल संभावना की प्रधानता निर्णय का एक पर्याप्त आधार हो सकती है, बाद वाले में दोषसिद्धि के लिए कहीं अधिक आश्वासन और न्यायिक निश्चितता की आवश्यकता होती है। भ्रष्ट आचरण के आरोप के प्रमाण के बारे में भी यही बात काफी हद तक सच है, जिसे केवल संभावनाओं के संतुलन से स्थापित नहीं किया जा सकता है, और यदि, मामले के साक्ष्य और परिस्थितियों की समग्रता पर उचित विचार और प्रभाव देने के बाद, न्यायालय का मन उचित संदेह से परे हो जाता है-एक डरपोक, अस्थिर या ढुलमुल दिमाग का संदेह नहीं होने के कारण-आरोप की सत्यता के बारे में, इसे वही मानना चाहिए जो साबित नहीं हुआ है।"

इसी दृष्टिकोण का पालन इस न्यायालय द्वारा पी.सी. थॉमस बनाम पी.एम. इस्माइल और अन्य[6] में किया गया था, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

"42. जहाँ तक रज़ीक राम में इस न्यायालय के निर्णय और इस मुद्दे पर अन्य निर्णयों के संबंध में, अपीलार्थी की ओर से भरोसा किया गया है, इस कानूनी स्थिति के साथ कोई विवाद नहीं है कि भ्रष्ट आचरण के आरोप को आपराधिक आरोप के साथ जोड़ा जाना है और इसके समर्थन में आवश्यक साक्ष्य एक आपराधिक आरोप के रूप में होगा और संभावनाओं की प्रधानता नहीं होगी, जैसा कि एक सिविल कार्रवाई में है, लेकिन साक्ष्य "उचित संदेह से परे" है। यह सुस्थापित है कि यदि प्रस्तुत साक्ष्य को संतुलित करने के बाद भी आरोप को

साबित करने में कोई संदेह नहीं रहता है, तो इसका लाभ निर्वाचित अभ्यर्थी को मिलना चाहिए। हालाँकि, यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक उचित संदेह से परे साक्ष्य के मानक पर जोर देते हुए, न्यायालयों को सिद्धांत को इतनी हद तक बढ़ाने या फैलाने की आवश्यकता नहीं है कि भ्रष्ट आचरण के किसी भी आरोप को साबित करना लगभग असंभव हो जाए। इस तरह का दृष्टिकोण चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने में अधिनियम के बहुत ही प्रशंसनीय और पवित्र उद्देश्य को पराजित और विफल कर देगा। (कृपया देखें- एस.हरचरण सिंह बनाम एस. सज्जन सिंह)"

40. अभिलेख पर उपलब्ध स्वीकृत साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हालांकि विभिन्न कारणों से, हमें यह मानना बेहद मुश्किल लगता है कि अपीलार्थी ने प्रथम प्रत्यर्थी के खिलाफ आरपी अधिनियम की धारा 123(4) सपठित धारा 100(1)(बी) के तहत भ्रष्ट आचरण की स्थापना और साबित किया है। परिणामस्वरूप, अपील में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

41. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

देविका गुजराल

अपील खारिज की गई।

1. (2005) 11 एससीसी 600
2. (1984) 1 एससीसी 390
3. एआईआर 1960 एससी 1217
4. (1984) 4 एससीसी 649
5. (1975) 4 एससीसी 769

6. (2009) 10 एससीसी 239

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****